न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / सिलिंग / 5185 / 2000 / पाली

गुलाब सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी ग्राम जाखोडा तहसील बाली जिला पाली (मृतक) कायम मुकामः– श्रीमति सुख कवंर बेवा श्री गुलाबसिंह वगैरह––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार ————रैस्पोडेंट

एकलपीठ

श्री विजय कुमार सोनी,सदस्य

उपस्थितः–

श्री डूँगर सिंह अभिभाषक अपीलांट
उप राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः २०नवंबर, 2015

यह सीलिंग अपील अन्तर्गत धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 12–9–2000के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली ने सीलिंग प्रकरण संख्या 339 / 94 शीर्षक सरकार बनाम गुलाब सिंह को अपने निर्णय दिनांक 12–9–2000 द्वारा निर्णित कर ऐससी / अपीलांट के धारण में 22.76 स्टैण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मान कर राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) पाली ने सीलिंग प्रकरण संख्या 4 / 75 शीर्षक सरकार बनाम गुलाब सिंह The Rajshtan Imposition of the Ceiling on Agricultural Holding Act-1973(जिसे निर्णय में नया सीलिंग कानून कहा गया है) प्रारंभ किया तथा अपने निर्णय दिनांक 5–3–75 द्वारा ऐससी / अपीलांट के धारण में निर्धारित तिथि 1–1–73 को सीलिंग सीमा से कम भूमि धारण में मानते हुए सीलिंग प्रकरण ड्रोप कर दिया। उप जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 5–3–75 के विरुद्ध राज्य सरकार ने एक नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 76 (92 / 76) प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी ने नजरसानी प्रार्थनापत्र को अपने निर्णय दिनांक 21–7–77 द्वारा स्वीकार कर अपने पूर्व

COMPARED BY

प्रसारित निर्णय 5–3–75 को संशोधित करते हुए ऐससी/अपीलांट के धारण में निर्धारित तिथि 1–1–73 को सीलिंग सीमा से 10 बीघा भूमि अधिक धारण में मानते हुए बहक सरकार अधिग्रहण करने के आदेश दिये। राज्य सरकार ने अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 5–3–75 व 21–7–77 को रिओपन करने के आदेश अपने निर्णय दिनांक 4–5–81 द्वारा दिये। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 4–5–81 की पालना में अतिरिक्त कलक्टर ने रिआपेन प्रकरण संख्या 339/94 (नया कानून) शीर्षक सरकार बनाम गुलाबसिंह को अपने निर्णय दिनांक 13–3–95 द्वारा निर्णित करते हुए ऐससी/अपीलांट के धारण में 1–1–73 को 223.10 बीघा भूमि धारण में मानी तथा परिवार के 6 सदस्य निर्धारित कर निर्णय दिनांक 13–3–95 पारित करते हुए 144.00 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी माना तथा 65.16 बीघा भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक मान कर बहक सरकार अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये। अतिरिक्त जिला कलक्ट (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 13–3–95 के विरुद्ध ऐससी/अपीलांट ने प्रथम अपील संख्या 39/95/सीलिंग/पाली/ शीर्षक सुख कंवर बनाम सरकार राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 27–3–97 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–3–95 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। राजस्व मण्डल अजमेर से प्रतिप्रेषित प्रकरण संख्या 339/95 शीर्षक सरकार बनाम गुलाब सिंह को अतिरिक्त कलक्टर(सीलिंग) पाली ने अपने निर्णय दिनांक 12–9–2000 द्वारा निर्णित कर ऐससी/अपीलांट के धारण में निर्धारित तिथि 1–1–73 को 103.03 बीघा चाही अव्वल तथा 123.07बीघा बारानी प्रथम भूमि धारण में मानी। चाही अव्वल 103.03 बीघा को 40.12 साधारण एकड तथा 33.43 स्टैण्डर्ड एकड एवं 123.07 बीघा बारानी प्रथम को 49.40 साधारण एक तथा 24.33 स्टैण्डर्ड एकड में परिवर्तित कर निर्धारित तिथि 1–1–73 को 57.76 स्टैण्डर्ड एकड भूमि ऐससी/अपीलांट के धारण में मानी तथा परिवार के 6 सदस्य माने।अतिरिक्त कलक्टर ने रिओपन प्रकरण 339/94 को अधिनियम 1973 की धारा 4(।)के द्वितीय परन्तुक के तहत निर्णित किया, जिसमें ऐससी/अपीलांट के धारण में पुराने कानून तथा नये कानून दोनो के तहत सीलिंग सीमा से अधिक की गणना कर निर्णित किया गया। अतिरिक्त कलक्टर ने धारा 4(।) के द्वितीय परन्तुक के तहत पुराना कानून के तहत ऐससी/अपीलांट के धारण में 22.76 स्टैण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मान कर अधिग्रहित करने के आदेश दिये। तथा नये कानून के तहत ऐससी/अपीलांट के धारण में 223.10 बीघा भूमि 1–1–73 को धारण में मान कर जिसे चाही भूमि में

COMPARED BY

परिवर्तन करने पर 182 बीघा भूमि धारण में मानी तथा परिवार के 5 सदस्य मानकर 120 बीघा चाही भूमि धारण करने का अधिकारी माना तथा 62 बीघा चाही भूमि में अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये। धारा 4(।) के द्वितीय परन्तुक के तहत जिस कानून के तहत सरकार को अधिक भूमि प्राप्त होती हो उसी के तहत निर्णय पारित किया जाता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पुराना कानून के तहत भूमि अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये क्योकि राज्य सरकार को पुराने कानून के तहत अधिक भूमि प्राप्त हो रही है। अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 12–9–2000 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि इस बिन्दु पर कोई विवाद नही है कि ऐससी/अपीलांट के धारण में 1–1–73 को 103.03 बीघा भूमि चाही तथा 123.07 बीघा बारानी प्रथम थी। जिसको साधारण एकड में परिवर्तन करने पर 103.03 बीघा भूमि 40.12 तथा 123.07 बीघा के 49.40 साधारण एकड बनते है। इस बिन्दु पर भी कोई विवाद नही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने साधारण एकड से स्टैण्डर्ड एकड में जो परिवर्तन किया है वह गलत है। अभिभाषक अपीलांट ने राजस्थान राजपत्र 1दिसम्बर ,1963 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पाली जिले की सूची के अनुसार चाही अव्वल 30स्टैण्डर्ड एकड साधारण 61 एकड के समतुल्य होते है। तथा बारानी प्रथम 30स्टैण्डर्ड एकड 91 साधारण एकड के समतुल्य होते है। अगर चाही –अव्वल व बारानी प्रथम को स्टैण्डर्ड एकड में परिवर्तित किया जावे तो चाही अव्वल 40.12 साधारण एकड 19.73 तथा बारानी प्रथम साधारण एकड 49.40 के स्टैण्डर्ड एकड 16. 28 बनते है । दोनो का योग 36.01 बनता है। ऐससी/अपीलांट के पारिवार में 6 सदस्य है। 5 सदस्य का एक परिवार 30स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है तथा प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य पांच स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है।इस प्रकार से ऐससी/अपीलांट के धारण में 1–4–66 को19.73+16.28=36.01 स्टैण्डर्ड एकड भूमि थी। वह 35 स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी था तथा लगभग 1.01 स्टैण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है, जिसे ऐससी/अपीलांट धारा 30 आई(2) के तहत बतौर फ्रेगमेंट धारण करने का अधिकारी है। इस प्रकार ऐससी/अपीलांट के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–66 को सीलिंग सीमा से कम भूमि थी। अभिभाषक अपीलांट का दूसरा कथन यह है कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा नये सीलिंग कानून के तहत भी ऐससी/अपीलांट के प्रकरण को निर्णित किया है। अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क है कि ऐससी/अपीलांट के धारण में

COMPARED BY

223.10 बीघा भूमि धारण होने पर कोई विवाद नही है। इस बिन्दु पर भी कोई विवाद नही है कि 223.10बीघा भूमि को सिचिंत भूमि में परिवर्तन करने पर 182.00 बीघा बनते है। इस बिन्दु पर भी कोई विवाद नहीं है कि एक परिवार 120 बीघा चाही भूमि धारण करने का अधिकारी है। पारिवार के सदस्यों पर भी कोई विवाद नही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐससी/अपीलांट द्वारा किये गये हस्तान्तरणों को मान्यता नही देकर त्रुटि की है। अधिनियम 1973 की धारा 6 के तहत 26–9–70 से 1–1–73 तक सदभाविक हन्तान्तरण को मान्यता प्रदान की जावेगी। ऐससी/अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27–3–68 द्वारा 25 बीघा भूमि, जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27–1–60 द्वारा 50बीघा भूमि, जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 9–3–60 द्वारा 10 बीघा भूमि तथा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10–4–60 द्वारा 15 बीघा भूमि तथा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18–6–66 द्वारा 2.07 बीघा अर्थात कुल 102.07 बीघा भूमि का हस्तान्तरण किया गया। हस्तान्तरित की गयी भूमि के सम्बन्ध में इन्तकाल संख्या 158 प्रदर्श 4, इन्तकाल संख्या 171 प्रदर्श 5, इन्तकाल संख्या 177 प्रदर्श 6, इन्तकाल संख्या 182 प्रदर्श 7 तथा इन्तकाल संख्या 188 प्रदर्श 8 रिकार्ड पर उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त पांचों इंतकाल निर्धारित तिथि 26–9–70 के बाद स्वीकृत होने के कारण ऐससी/अपीलांट द्वारा किये गये हस्तान्तरण को मान्यता नही दी। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष अधिनियम 1973 की धारा 6 के विपरीत होने के कारण विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय को अधिनियम 1973 की धारा 6 में केवल यह देखना था कि हस्तान्तरण 26–9–70 से 1–1–73 के मध्य के है तथा हस्तान्तरण सदभाविक है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तान्तरण के आधार पर स्वीकृत किये गये इन्तकाल की तारीख को देखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अभिभाषक अपीलांट ने इस सम्बन्ध में आरआरडी 1976 पेज 414 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। ऐससी/अपीलांट द्वारा 102.07 बीघा भूमि हस्तान्तरित की गयी है। 102.07 बीघा भूमि हस्तान्तरण को मान्यता देने के बाद प्रार्थी के धारण में 1–1–73 को 223.10 बीघा –102.07 बीघा भूमि कम करने पर 121.03 बीघा शेष भूमि रहती है जिसे चाही में कनवर्ट करने पर 98.75 बीघा भूमि चाही भूमि बनती है। ऐससी/अपीलांट 120 बीघा चाही भूमि धरण करने का अधिकारी है। इस प्रकार नया सीलिंग कानून के तहत भी ऐससी/अपीलांट के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा सीलिंग प्रकरण को ड्रोप किया जावे।

COMPARED BY

5— इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का प्रथम कथन यह है कि अपीलाधीन निर्णय नया कानून तथा पुराना कानून के तहत निर्णित किया गया है।राजकीय अभिभाषक अपीलांट के इस तर्क से तो सहमत है कि पुराना कानून के तहत साधारण एकड स्टैण्डर्ड एकड में परिवर्तन करने की गणना गलत है। परन्तु नया कानून के तहत जो मान्यता हस्तान्तरणों को नही दी गयी है वह उचित है, क्योकि हस्तान्तरण के आधार पर इन्तकाल निर्धारित तिथि के बाद स्वीकृति किये है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है। इसलिए नये कानून के तहत अपीलांट / ऐससी के पास निर्धारित तिथि 1—1—73 को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संशोधित कर यह आदेश पारित कर दिया जावे कि नया सीलिंग कानून के तहत ऐससी / अपीलांट के धारण में निर्धारित तिथि 1—1—73 को 62 बीघा भूमि चाही सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहित किये जाने योग्य है।

6— दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गयी बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया तथा सीलिंग के पुराने कानून एवं नये कानून के प्रावधान का अध्ययन किया गया।

7— सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐससी / अपीलांट के पुराने कानून के तहत पारित निर्णय को देखा जावेगा। दोनो पक्षकारान इस बिन्दु पर सहमत है कि ऐससी / अपीलांट के धारण में 1—4—66 को 103.03 बीघा चाही अव्वल अर्थात 40.12 साधारण एकड तथा 123..07 बारानी प्रथम अर्थात 49.40 साधारण एकड भूमि थी। साधारण एकड से स्टैण्डर्ड एकड में परिवर्तन किये जाने की गणना पर ही विवाद है। राजपत्र 1दिसम्बर ,1963 के अनुसार पाली जिले की चाही अव्वल 30 स्टैण्डर्ड एकड 61 साधारण एकड के बरावर है तथा बारानी प्रथम 30 स्टैण्डर्ड एकड 91 साधारण एकड के समतुल्य है। इसके अनुसार 40.12 बीघा चाही अव्वल साधारण एकड को स्टैण्डर्ड एकड में परिवर्तन करने का निम्न फार्मूला है।

(1)61 साधारण एकड = 30 स्टैण्डर्ड एकड

1 साधारण एकड = $\frac{30}{60}$

40.12साधारण एकड=$30 \times \frac{40.12}{60}$ = 19.73 स्टैण्डर्ड एकड

(2)91 साधारण एकड = 30 स्टैण्डर्ड एकड

1 स्टैण्र्ड एकड = $\frac{30}{91}$

49.40 स्टैण्डर्ड एकड =$\frac{30 \times 49.40}{91}$ = 16.28 स्टैण्डर्ड एकड

COMPARED BY

8— इस प्रकार ऐससी/अपीलांट के धारण में 1—4—66 को 19.73 +16.28=36.01 स्टैण्डर्ड एकड भूमि थी। अपीलांट के परिवार में दिनांक 1—4—66 को 6 सदस्य थे। एक परिवार 30 स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है। अर्थात प्रत्येक सदस्य 5 स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है। इस प्रकार ऐससी/अपीलांट 35 बीघा स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है तथा उसके धारण में दिनांक 1—4—66 को 36.01 स्टैण्डर्ड एकड भूमि है। इस प्रकार अपीलांट के धारण में दिनांक 1—4—66 को 1.01 स्टैण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। धारा 30 आई(2) के तहत ऐससी/अपीलांट फ्रेगमेंट की छूट प्राप्त करने का आधिकारी है। अधिनियम 1973 के रुल 20 के तहत जिला पाली की तहसील बाली में 7 एकड प्रेगमेंट है जबकि इस प्रकरण में केवल 1.01 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है जिसे ऐससी/अपीलांट बतौर फ्रेगमेंट लाभ प्राप्त करने का आधिकारी है। इस प्रकार ऐससी/अपीलांट के धारण में दिनांक 1—4—66 को सीलिंग सीमा से कम भूमि थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने परिवर्तन करने की गणना में त्रुटि कर ऐससी/अपीलांट के धारण में पुराना कानून के तहत सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मान कर अधिग्रहित करने के आदेश दिये है जो उचित नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराना कानून के तहत पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

9— जहां तक ऐससी/अपीलांट के धारण में नया कानून के तहत अधिनस्थ न्यायालय ने 223.10 बीघा भूमि दिनांक 1—1—73 को धारण में मानी है तथा 223.10 बीघा भूमि को परिवर्तित करने पर 182बीघा भूमि चाही मानी है। ऐससी/अपीलांट के परिवार में 5 सदस्य मान कर 120 बीघा चाही भूमि धारण करने का अधिकारी माना है। लेकिन ऐससी/अपीलांट द्वारा किये गये हस्तान्तरणों को केवल इस आधार पर मान्यता प्रदान नही की कि विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत इन्तकाल निर्धारित तिथि 26—9—70 के बाद स्वीकृत किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण तथा विधि के विपरीत है। अधिनियम 1973 की धारा 6 के तहत दिनांक 26—9—70 से 1—1—73 के मध्य किये गये हस्तान्तरणों को मान्यता प्रदान की जावेगी। अगर हस्तान्तरण सद्भाविक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रावधान का अन्यथा अर्थ लगाते हुए हस्तान्तरणों के आधार पर स्वीकृत किये गये इन्तकालों को मद्देनजर निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 4—5—6—7 व 8 के अनुसार ऐससी/अपीलांट द्वारा हस्तान्तरण निर्धारित तिथि के मध्य किये गये है। इसलिए हस्तान्तरणों को मान्यता प्रदान की जाती है। ऐससी/अपीलांट द्वारा 102.07 बीघा भूमि

COMPARED BY

का हस्तान्तरण किया गया है। हस्तान्तरण करने के बाद ऐससी / अपीलांट के धारण में 223.10 - 102.07 = 121.03 बीघा भूमि शेष रहती हैं। उक्त 121.03 बीघा भूमि को चाही भूमि में परिवर्तन करने पर 98.75 बीघा बनते है। ऐससी / अपीलांट का परिवार 120 बीघा चाही भूमि धारण करने का अधिकारी है। जबकि 1–1–73 को एससी / अपलांट के पास 98.75 बीघा भूमि है जो निर्धारित तिथि सीलिंग सीमा से कम है। इस प्रकार ऐससी / अपीलांट के विरुद्ध नया सीलिंग कानून के तहत भी सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही बनती है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने नया सीलिंग कानून के तहत पारित निर्णय भी विधि विपरीत तथा रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

10– फलस्वरुप यह अपील स्वीकार की जाती है।अतिरिक्त जिला कलक्टर(सीलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 12–9–2000 निरस्त किया जाता है। तथा निर्णित किया जाता है कि ऐससी / अपीलांट के धारण में नया कानून तथा पुराना कानून के तहत निर्धारित तिथि को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही है। तथा ऐससी / अपीलांट के विरुद्ध प्रारंभ किया गया सीलिंग प्रकरण ड्रोप किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.11.15

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

COMPARED BY